उत्तराखण्ड वन विकास निगम – टनकपुर विक्रय प्रभाग

माँ पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर (चम्पावत)

खड़े वृक्षों की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि लौगिंग प्रभाग, टनकपुर द्वारा खड़े/खतरनाक वृक्षों की लॉटो के विक्रय हेतु विक्रय प्रभाग, टनकपुर को विक्रय सूची प्राप्त हुई है, जिनमें लॉट सं0–41, 42, 44, 47, 158, 159, 161, 163, 165, 191, 192/2024–25 एवं 224/2023–24 (कुल 12 लॉट) जिनका सार्वजनिक नीलाम दिनांक–03.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे से टनकपुर डिपो सं0–02 के नीलाम हॉल में सम्पन्न किया जाएगा।

अतः समस्त इच्छुक पंजीकृत एवं अपंजीकृत क्रेतागण खड़े वृक्षों के नीलाम में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग करने का कष्ट करें एवं अपंजीकृत क्रेता को नीलाम में प्रतिभाग हेतु नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क रू0–10,000 जमा करना अनिवार्य है, विक्रय सूची एवं नीलाम शर्ते किसी भी कार्यदिवस में प्रभागीय कार्यालय या खटीमा डिपो से प्राप्त की जा सकती है तथा वन निगम की वेबसाईट http://ufdc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है ।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, टनकपुर

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खड़े वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही **'जहाँ है जैसा है'** के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
   (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रू0 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5 % या रू0 10,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
   (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :- (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
5. (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
   (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
   (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
   (IV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की **तिथि से 30 (तीस दिन)** के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) **20 दिन** के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ **अधिकतम 10 (दस दिन)** दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NFET/E-Paymen द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।

पत्रांक: वि0 5540 /16-32/विपणन आदेश दिनांक: 09 दिसम्बर 2016

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाएगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के **10 दिन के अन्दर** (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लाट में कार्य आरम्भ करना होगा। कार्य आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।

12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को **रू0 100/ के स्टाम्प** पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होंगी।

13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के **10 (दस) दिनों** के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लाट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लाट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लाट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लाट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छप्पे वृक्षों एवं कटे हुए प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

15. लाट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करके इस तरह से करना होगा ताकि लाट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनों आदि को क्षति न हो। लाट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लाट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।

16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

17. क्रेता को लाट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लाट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।

18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लाट (जाब) के सभी छप्पे चिन्हित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुए प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिए क्रेता को लाट के कुल विक्रय मूल्य का **0.10 प्रतिशत** प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लाट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छप्पे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जाएगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

19. लाट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जाएगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।

21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वावस/समायोजित की जाएगी।

22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **''क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम''** पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

पत्रांकः वि0 5540 /16-32/विपणन आदेश दिनांकः 09 दिसम्बर 2016

लॉट संख्या 224/2023-24

सं0— 224/2023—24 किस्म छपान— खतरनाक वृक्ष, श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री रेवती रमन गुप्ता नि0—बनबसा के भवन के समीप टनकपुर खटीमा
-125 के किनारे बनबसा में वृक्षों का छपान।

घन नं0 38/हरा छपान/2021—22

खटीमा—राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त — छपान किस्म —

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में										सीमा विवरण व शर्ते
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	योग	
यूकेलिप्टस हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	पूरब— NH-125 रोड पश्चिम— बमनपुरी गांव उत्तर— हीरो एजेंसी दक्षिण— स्टार फर्नीचर की दुकान **शर्ते** 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे—आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेद नही होगा। 2— पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021—22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें
योग	-	-	-	-	0	0	0	0	2	2	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

जगेश वर्मा
(उ0रा0)
जॉच अधिकारी

नित्यानन्द भट्ट
वन दरोगा
छपान अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लाट संख्या 224/2023-24

लाट0 224/2023–24 किस्म छपान–खतरनाक वृक्ष, विकास गुप्ता पुत्र श्री रेवती रमन गुप्ता नि0--टनकपुर खटीमा मार्ग, NH-125 के किनारे बनबसा में वृक्षों का छपान।

घन नं 38/ हरा छपान/ 2021–22

खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त–पश्चिमी वृत्त

खण्ड व कक्ष–

प्लाट संख्या– क्षेत्रफल है0 बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग– 10 किमी0 कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																								योग	सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 -80			80 -90			90 -100				
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
सेमल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	पूरब– NH-125 बनबसा पश्चिम–बमनपुरी ग्राम उत्तर–हीरो एजेन्सी दक्षिण–स्टार फर्नीचर की दुकान शर्ते 1– प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग,पानी ,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– लौट के वृक्षों में लौपिंग की आवश्यकता है। 3–पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें।
खैर हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
योग	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	

लाट संख्या 224/2023-24

नोटः– उक्त वृक्ष से जान–माल का खतरा बना हुआ है, जिसका पातन करना अतिशीघ्र आवश्यक है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

(भैरव सिंह बिष्ट)
व0द0
जॉच अधिकारी

N Bhatt
(नित्यानन्द भट्ट)
वन दरो0
छपान अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 47/2024-25

लौट सं0– 47/2023–24 टनकपुर बीट, छीनी कक्ष सं0– 02 में टनकपुर–आमबाग–छीनी मोटर मार्ग के किनारे हरे खड़े यूकेलिप्टिस के खतरनाक वृक्षों का छपान ।

घन नं0 34/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी | कार्यवृत्त – | छपान किस्म –खतरनाक वृक्ष

प्लाट संख्या | क्षेत्रफल | बिक्री कर की दर | श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी | कटान चिरान अवधि

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में																			सीमा विवरण व शर्ते
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	योग	
यूकेलिप्टस हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	2	-	-	2	-	12	पूरब– छीनी कक्ष संख्या 1 पश्चिम– छीनी कक्ष संख्या 02 उत्तर– छीनी कक्ष संख्या 02 व आम बाग ग्राम दक्षिण– छीनी क0 सं0 2 शर्ते 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विकय नियम लागू होगें
योग	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	2	-	-	2	-	12	

नोटः– उक्त वृक्षों से जान–माल का खतरा बना हुआ है, जिसका अतिशीघ्र पातन करना आवश्यक है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

34

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

विनोद कुमार
उपभाग अधिकारी
टनकपुर

(मेरठ/हरिद्वार)
वन दरोगा/जांच अधिकारी

लॉट सं0- 159/2024-25

ाट सं0– 159 /2024–25 श्री चितरंजन चिलकोटी पुत्र स्व0 श्री विष्णु दत्त चिलकोटी, नि0–ग्राम चन्दनी, बनबसा में घर के आगे व राष्ट्रीय जमार्ग–125 के किनारे खतरनाक यूकेलिप्टस वृक्षों का छपान । घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म – खतरनाक वृक्ष

प्लाट संख्या क्षेत्रफल– बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में										सीमा विवरण व शर्तें
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	योग	
यूकेलिप्टस सूखा खड़ा	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	पूरब– ग्लोरो स्कूल पश्चिम– चितरंजन चिलकोटी का मकान उत्तर– प्रेम चन्द का मकान दक्षिण– गेमाखनका का बगीचा आम का **शर्ते** 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विकय नियम लागू होगें
योग	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

जांच अधिकारी –
(जोगेश्वरी)
उपराजि–
टनकपुर

N. Bhatt
(निर्मल भट्ट)
छपान अधिकारी
टनकपुर व बनबसा

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लाट संख्या 161/2024-25

सं0— 161/2024—25 श्री खड़क चन्द्र ग्राम आनन्दपुर पो0 चन्दनी बनबसा के घर के सामने छीनी कक्ष सं0—18 में खड़े खतरनाक यूकेलिप्टिस
घन नं0 38/ हरा छपान/2021—22
हरा छपान ।

खटीमा—राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त — छपान किस्म — खतरनाक वृक्ष

बिक्री कर की दर श्रेणी

प्लाट संख्या क्षेत्रफल—

कटान चिरान अवधि

निकासी के लिए अनुमानित दूरी

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में										सीमा विवरण व शर्ते
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	योग	
यूकेलिप्टस हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	पूरब— आनन्दपुर गांव पश्चिम— छीनी कक्ष सं0—18 का भाग उत्तर— छीनी कक्ष सं0—18 का भाग दक्षिण— छीनी कक्ष सं0—17(ब) **शर्ते** 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे—आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2— पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021—22 के सभी विकय नियम लागू होगें
									3	3	
योग	-	-	-	-	-	-	-	-			

S. Verma
(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

जांच अधिकारी
(आशीष वर्मा)
उपराजिक
खटीमा

N. Bhatt
व. द.
(नित्यानन्द भट्ट)
व० द०
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा अनुभाग
खटीमा रेंज

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लाट संख्या 41/2024-25

लौट सं0–41/2024–25 किस्म छपान–श्री हेमवती नन्दन जोशी पुत्र श्री लालमनी जोशी ग्राम पचौरिया निकट लालकोठी पो0 चकरपुर खटीमा के घर के समीप एक खैर सूखा खड़ा खतरनाक वृक्ष का छपान। घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म –

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		योग	सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर				
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
खैर सूखा खड़ा	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	पूरब– ईंट का खडन्जा पश्चिम–हेमवती नन्दन जोशी का घर उत्तर–आर0सी0सी0रोड दक्षिण–उत्तरी बनबसा क0सं0 5 खैरानी 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें
योग	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

लाट संख्या 41/2024-25

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(मोरध्वज सिंह बिष्ट)
वन दरोगा/जांचअधिकारी

(नित्यानन्द भट्ट)
व0दा0
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा अनुभाग

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 42/2024-25

लौट सं0– 42/2024–25 श्री उमेश कुमार आर्या ग्राम पचौरिया पो0 चकरपुर खटीमा के घर के समीप उ0बनबसा 5 में स्थित खतरनाक साल वृक्षों का छपान।

घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म –खतरनाक वृक्ष

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

लौट संख्या 42/2024-25

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर			योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
साल सूखा खड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	पूरब– गोरखनाला पश्चिम–उमेश कुमार का घर उत्तर–ग्राम पचौरिया दक्षिण–ग्राम पचौरिया 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विकय नियम लागू होगें
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(मोरध्वज सिंह)
वन दरोगा/जांच अधिकारी

N.A.Bhatt
(नित्यानन्द भट्ट)
व0व0र0
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा
अनुभाग

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 44/2024-25

लौट सं0--44/2024--25 किस्म छपान--चकरपुर वन चेतना मैदान में खेल स्टेडियम के उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 5 में स्थित हरे खड़े खतरनाक वृक्षों का छपान। घन नं0 38/ हरा छपान/2021--22

खटीमा--राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त -- छपान किस्म --

खण्ड व कक्ष सं0--

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर			योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
कुसुम हरा खड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	पूरब-- गोरखानाला पश्चिम--वन चेतना स्टेडियम उत्तर--बिल्हैरी गांव दक्षिण--पचौरिया गांव 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे--आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2-- पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021--22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें
बरगद हरा खड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
हल्दू हरा खड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
कोकाट हरा खड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

N.N.Bhatt
(नित्यानन्द भट्ट)
व0 व0
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा
अनुभाग

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

वन दरोगा/जांच अधिकारी

लौट सं० 158/2024-25

ट सं0– 158/2024–25 श्री तारा दत्त जोशी पुत्र स्व0 नारायण दत्त जोशी के घर के सामने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग चकरपुर में खड़े खतरनाक ोलिप्टिस वृक्षों का छपान । घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म – खतरनाक वृक्ष

प्लाट संख्या क्षेत्रफल– बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में										सीमा विवरण व शर्ते
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	योग	
यूकेलिप्टस हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	पूरब– रेलवे पटरी चकरपुर पश्चिम– एन0एच0–125 व प्राथमिक विद्यालय उत्तर– राजेन्द्र का घर दक्षिण– भूपेन्द्र बल्दिया का घर **शर्ते** 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें
यूकेलिप्टस सूखा खड़ा	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
योग	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

जांच अधिकारी
(जगदीश वर्मा)
उपराजिक
खटीमा

N. Bhatt
व.र.
(नित्यानन्द भट्ट)
व.र.
छपान अधिकारी
चकरपुर व वनरक्षा
अनुभाग

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 163/2024-25

लौट: सं0– 163 /2024–25 खटीमा पीलीभीत मार्ग के किनारे श्री चन्दन सिंह बिष्ट नि0– ग्राम वार्ड न0 17 खटीमा जिला उधमसिंह नगर को जाने वाले मार्ग, सालबोझी–03 में स्थित जामुन वृक्ष का छपान। घन नं0 / हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म –खतरनाक वृक्ष

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		योग	सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर				
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
जामुन हरा खड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	पूरब– खटीमा पीलीभीत मार्ग पश्चिम–वार्ड नं0–17 को जाने का रास्ता व वन डिपों उत्तर–पथ वृक्षारोपण दक्षिण–पथ वृक्षारोपण 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	

लौट संख्या 163/2024-25

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 165/2024-25

लौट सं0- 165/2024-25 श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी श्री कैलाश बिष्ट नि0 कुटरी तह0 खटीमा उधमसिंह नगर के मकान के पास चकरपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-125 के किनारे खतरनाक यूकेलिप्टस वृक्ष का छपान । घन नं0 38/ हरा छपान/2021-22

खटीमा-राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त - छपान किस्म - खतरनाक वृक्ष

प्लाट संख्या क्षेत्रफल-- बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

प्रजाति	वृक्षों की श्रेणी सेन्टीमीटर में										सीमा विवरण व शर्तें
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	योग	
यूकेलिप्टस सूखा खड़ा आधा कटा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	पूरब-- श्रीमती दीपा बिष्ट का मकान पश्चिम-- एन0एच0-125 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर-- कापड़ी बैकिंग दक्षिण-- निक्की टेलर्स चकरपुर **शर्तें** 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2-- पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021-22 के सभी विकय नियम लागू होगें
योग	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

लौट संख्या 165/2024-25

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

जाँच अधिकारी
(जगत सिंह बोरा)
उपराजिक
छपान

N. N. Bhatt
व. द.
(नित्यानन्द भट्ट)
व० दे०
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा
रायपुरा

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लॉट संख्या 34/2024-25

लॉट सं0– 34/2024–25 श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोपाल राम एवं श्री त्रिलोक राम पुत्र श्री फत्तीराम निवासी– ग्राम फागपुर (न्यू वस्ती) पो0–चन्दनी में स्थित खतरनाक साल वृक्षों का छपान। घन नं0 38 / हरा छपान / 2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म –

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर			योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
साल सूखा खड़ा व उखड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	पूरब– नई बस्ती फागपुर पश्चिम– कक्ष सं0–11 उत्तर– नई बस्ती फागपुर दक्षिण– नई बस्ती फागपुर, 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी, तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विकय नियम लागू होगें
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

(नित्यानन्द भट्ट)
व0 द0
छपान अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

लौट संख्या 45/2024-25

लौट सं0– 45/2024–25 किस्म छपान–श्री अमित कश्यप पुत्र श्री ब्रहमपाल कश्यप के घर के पास छीनी कक्ष संख्या 11 में स्थित एक खतरनाक साल सूखा खड़ा वृक्ष छपान। घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म – खतरनाक वृक्ष

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर			योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
साल सूखा खड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	पूरब– शारदा नहर पश्चिम– आरक्षित वन क्षेत्र छीनी कक्ष उत्तर–नई बस्ती फागपुर दक्षिण– नई बस्ती फागपुर 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग पानी,तूफान आदि से नुकसान का जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होंगे
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(नित्यानन्द भट्ट)
व0 द0
छपान अधिकारी

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

(मैरवानिकिशोर)
वन दरोगा/जांच अधिकारी

लौट सं0- 160/2024-25

लौट सं0–160/2024–25 श्री त्रिलोक राम पुत्र श्री फततीराम, निवासी–ग्राम फागपुर, पो0–चन्दनी जिला–चम्पावत के घर की ओर झुके साल वृक्ष का छपान।

घन नं0 38/ हरा छपान/2021–22

खटीमा–राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त – छपान किस्म –खतरनाक वृक्ष

खण्ड व कक्ष सं0–

प्लाट संख्या क्षेत्रफल बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		योग	सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर				
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
साल सूखा खड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	पूरब– पावर चैनल पश्चिम–छीनी कक्ष सं0–11 उत्तर–नई बस्ती फागपुर दक्षिण–नई बस्ती फागपुर 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–2: के सभी विक्रय नियम लागू होगें
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	

लौट सं0- 160/2024-25

(संचिता वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

N. Bhatt
व० द०
(नित्यानन्द भट्ट)
व० द०
छपान अधिकारी
चकरपुर व बनबसा
अनुभाग
खटीमा रेंज

(राहुल मिश्रा)
भारतीय वन सेवा, प्रशिक्षु
प्रभारी,वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

जांच अधिकारी
(जांच अधिकारी)
उप प्रभागीय
वनाधिकारी

लौट संख्या 191/2024-25

लौट सं0 191 /2024—25 किस्म छपान—खतरनाक वृक्ष,टनकपुर रोड,मनिहार सालबोझी में सूखे खड़े वृक्ष का छपान।

घन नं 34/ हरा छपान/ 2021—22

खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त—पश्चिमी वृत्त

खण्ड व कक्ष—

प्लाट संख्या— क्षेत्रफल है0 बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग— 03 किमी0 कटान चिरान अवधि

लौट संख्या 191/2024-25

वृक्ष प्रजाति	ब्यास श्रेणी से0मी0 में																									योग	सीमा विवरण एवं शर्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 -80			80 -90			90 -100					
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U			
साल सूखा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	पूरब—शारदा नदी पश्चिम—आबादी क्षेत्र उत्तर—आबादी क्षेत्र दक्षिण—आबादी क्षेत्र **शर्तें** 1— प्राकृतिक आपदाओं, जैसे—आग,पानी ,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2— लौट के वृक्षों में लौपिंग की आवश्यकता है। 3—पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021—22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें।
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	

नोटः— उक्त वृक्ष से जान—माल का खतरा बना हुआ है, जिसका अतिशीघ्र पातन करना आवश्यक है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

खटीमा उप वन प्रभाग

(रवीन्द्र सिंह (स्याल)
उ० रा०
प्रभारी अधिकारी

(किशोर कुमार)
अनुभाग अधिकारी
टनकपुर अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी

खटीमा वन क्षेत्र

लौट सं0 /2024–25 किस्म छपान–खतरनाक वृक्ष, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, बनबसा परिसर में स्थित खतरनाक साल वृक्षों का सूखा खड़ा/हरा खड़ा वृक्षों का छपान। घन नं 38/ हरा छपान/ 2021–22

खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त–पश्चिमी वृत्त

खण्ड व कक्ष–

प्लाट संख्या– क्षेत्रफल है0 बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग– किमी0 कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																									सीमा विवरण एवं भार्तें
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 -80			80 -90			90 -100			योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
साल सूखा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	पूरब–R.C.C रोड चूना भट्टा व डिग्री कॉलेज पश्चिम–प्राथमिक चिकित्सालय बनबसा उत्तर–आर0सी0सी0 रोड दक्षिण–बनबसा स्नात्कोत्तर महाविद्यालय **शर्ते** 1– प्राकृतिक आपदाओं, जैसे–आग,पानी ,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नही होगा। 2– लौट के वृक्षों में लौपिंग की आवश्यकता है। 3–पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021–22 के सभी विक्रय नियम लागू होगें।
साल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
साल हरा खड़ा आधा टूटा											1														1	
योग	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	

नोटः– उक्त वृक्ष से जान–माल का खतरा बना हुआ है, जिसका अतिशीघ्र पातन करना आवश्यक है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र